

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक 19.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।



मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का सवेदनशील प्रयास...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित “मिशन शक्ति फेज-5.0” अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

जिसके क्रम में आज दिनांक- 19.10.2025 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत स्कूलों एवं कालेजों में जाकर स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा, सुरक्षा अधिकारों तथा साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को ‘गुड टच’ व ‘बैड टच’ की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा “साइबर अवेयरनेस कैम्पेन” भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य

मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता, तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को सशक्त बनाना है।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 1 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित उ0नि0 तवरेज आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र नवाब सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम सलुहा थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पहरैथा थाना खरेला जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. उ0नि0 तवरेज आलम खां
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
3. कां0 विशाल जायसवाल

गिरफ्तार अभियुक्त -

उत्तम सिंह उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र नवाब सिंह निवासी ग्राम सलुहा थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

01 नफर वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में सलिप्त वाछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 19.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित 30नि0 प्रशान्त दीक्षित मय हमराह कां0 कुलदीप सिंह व कां0 मो0 कामिल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 239/2025 धारा 69/351(3) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वाछित अभियुक्त सुघर सिंह पुत्र ठाकुरदास उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा को ग्राम गुढा थाना चरखारी महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 प्रशान्त दीक्षित
2. कां0 कुलदीप सिंह
3. कां0 मो0 कामिल

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुघर सिंह पुत्र ठाकुरदास उम्र करीब 44 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 1 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजेन्द्र नायक पुत्र महाबीर नायक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम मगरपुर थाना सकरार जनपद झांसी जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम रुरीकला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव
2. कां0 साहब सिंह
3. कां0 अमित कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

राजेन्द्र नायक पुत्र महाबीर नायक उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम मगरपुर थाना सकरार जनपद झांसी

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।



जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस व थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, खोखा/जिन्दा कारतूस व मृतक का मोबाइल बरामद...

थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौसारा में दिनांक 14.10.2025 को रात्रि लगभग 08:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दो बाइक सवार व्यक्ति गाँव जा रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर डीआईजी महोदय सहित जनपदीय पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 237/25 समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस प्रभारी श्री शिवप्रताप सिंह एवं थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक- 19.10.2025 को घटना का सफल अनावरण किया गया है। जांच में यह पाया गया कि मृतक का मित्र, जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, उसी ने ही घटना कारित की है। स्वयं को बचाने के लिए उसने इस प्रकार की झूठी कहानी बताई थी। घटना के पीछे मुख्य वजह दोनों के बीच की व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता थी। घटना में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) BNS व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना कारित करने वाले अभियुक्त प्रदीप राजपूत पुत्र गुलाब सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम नौसारा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित को मोहल्ला रूपनगर शमशान घाट में बने टीन शेड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाजायज व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फसा हुआ) व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मृतक का मोबाइल फोन बरामद करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

**गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम :-
थाना चरखारी पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. हे0कां0 दिनेश सिंह 3. कां0 कृष्णकांत 4. कां0 आर्यन सिंह 5. कां0 जयदीप पटेल

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह प्रभारी स्वॉट/सर्विलांस टीम
2. उ0नि0 विवेक कुमार सिंह 3. कां0 दीपक वर्मा 4. कां0 आशीष बघेल
5. कां0 रंजीत सिंह 6. कां0 सत्यम सिंह जादौन 7. कां0 निर्भय सिंह 8. कां0 अभिषेक दुबे

गिरफ्तार अभियुक्त :-

प्रदीप राजपूत पुत्र गुलाब सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम नौसारा थाना चरखारी महोबा **बरामदगी-** घटना में प्रयुक्त आलाकल 01 अदद देशी तमंचा नाजायज व 01 अदद खोखा कारतूस (नाल में फसा हुआ) व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद मृतक का मोबाइल फोन



पुलिस अधीक्षक महोबा की गरिमामयी उपस्थिति में 28वीं प्रयागराज जोन वॉलीबॉल क्लस्टर (वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा) प्रतियोगिता-2025 का हुआ भव्य समापन

पुलिस लाइन महोबा प्रांगण में आज दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित प्रयागराज जोन की 28वीं वॉलीबॉल क्लस्टर (वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा) प्रतियोगिता-2025 का समापन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति एवं नेतृत्व में भव्यता और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ।

प्रतियोगिता का शुभारंभ 17 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली समस्त टीमों के प्रबंधकों से परिचय प्राप्त किया गया तथा खिलाड़ियों द्वारा उत्साहपूर्ण मार्च-पास्ट और खिलाड़ी शपथ ग्रहण की कार्यवाही संपन्न हुई।

मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि — “खेल भावना और अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी हैं। प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य जीतना ही नहीं, बल्कि टीम भावना, आत्मविश्वास और सौहार्द को बढ़ाना भी है।”

इस प्रतियोगिता में कमिश्नरेट प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर एवं चित्रकूट जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में शानदार मुकाबलों के बीच खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और जुझारूपन का प्रदर्शन किया।

फाइनल मुकाबलों के परिणाम:

- सेपक टकरा (पुरुष वर्ग): रोमांचक फाइनल में मेजबान महोबा ने कमिश्नरेट प्रयागराज को पराजित कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की।
- सेपक टकरा (महिला वर्ग): प्रयागराज की टीम ने प्रतापगढ़ को हराकर विजेता बनी।
- वॉलीबॉल (पुरुष वर्ग): फतेहपुर ने महोबा को पराजित कर फाइनल मुकाबला जीता।
- वॉलीबॉल (महिला वर्ग): मेजबान महोबा की टीम ने अपने उत्कृष्ट खेल से फाइनल में विजय हासिल की।

प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, शील्ड एवं उपहार स्वरूप गिफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि “ऐसी प्रतियोगिताएं न केवल पुलिस कर्मियों में खेल भावना को प्रोत्साहित करती हैं बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और आत्मबल को भी सशक्त करती हैं। महोबा पुलिस को गर्व है कि उसने प्रयागराज जोन क्लस्टर की मेजबानी सफलता पूर्वक संपन्न की।”

समापन के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारीगण अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह सहित प्रतिभागी खिलाड़ी एवं दर्शकगण उपस्थित रहे।



महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

